

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय,
पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना।
फोन नं०-0612-2215041, email-scdisability2008@gmail.com
Website : scdisabilities.com

आदेश

संख्या-सं०सं०-03/रा०आ०नि०/सूचना-लो०सू०पदा०)-02/23-323/आ.नि.के दिनांक-21/06/2023

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5 (लोक सूचना अधिकारियों के पदनाम), उपधारा-(1) तथा उपधारा-(2) में किये गए प्रावधान के तहत कार्यालय के सम्बन्ध में निम्नरूपेण लोक सूचना पदाधिकारी नामित किया जाता है :-

- (1) सहायक लोक सूचना प्राधिकार - सहायक (श्री रणधीर कुमार)
- (2) लोक सूचना प्राधिकार - प्रशाखा पदाधिकारी
- (3) प्रथम अपीलीय प्राधिकार - अपर निःशक्तता आयुक्त

प्रशाखा पदाधिकारी का पदस्थापन नहीं होने अथवा अनुपलब्धता की स्थिति में सहायक लोक सूचना प्राधिकार द्वारा सूचना प्रदान की जा सकेगी।

21/6/23
राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।

ज्ञापक-सं०सं०-03/रा०आ०नि०/सूचना-लो०सू०पदा०)-02/23-323/आ.नि.के दिनांक-21/06/2023

प्रतिलिपि:-

- (1) राज्य आयुक्त निःशक्तता का कार्यालय, बिहार, पटना के सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/6/23
राज्य आयुक्त, निःशक्तता,
बिहार, पटना।